

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक: UOU/Est./2026/60/2043

दिनांक: 02.06.2026

नियोजन आदेश

विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश-2009 के अध्याय-आठ एवं विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के परिनियम, 2009 के परिनियम संख्या 4(19) के अधीन विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन हेतु अल्पकालिक नियुक्ति, जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किए जाने का प्रावधान है।

शिक्षकों की अनिवार्यता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति हेतु शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित शिक्षक शिक्षा (B.ed-ODL) एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित (BLIS) कार्यक्रम में निम्नांकित सहायक प्राध्यापकों (ए0सी0) को मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 02 जून, 2026 के अनुपालन में परिनियम संख्या 4(19) के अधीन दिनांक 02 जुलाई, 2026 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक नियोजित किया जाता है-

क्र0सं0	नाम	विद्याशाखा	विभाग
1.	श्री विनय सिंह रावत	शिक्षाशास्त्र	शिक्षक शिक्षा
2.	डॉ0 सुरेश सिंह मेहता	शिक्षाशास्त्र	शिक्षक शिक्षा
3.	डॉ0 अंजना देवी	शिक्षाशास्त्र	शिक्षक शिक्षा
4.	सुश्री प्रीति शर्मा	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	पुस्तकालय विज्ञान
5.	सुश्री रिया चौहान	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	पुस्तकालय विज्ञान
6.	सुश्री ईशा आर्या	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	पुस्तकालय विज्ञान

प्रतिलिपि:

- वैयक्तिक अधिकारी, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
- निदेशक, संबंधित विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
- निदेशक, अकादमिक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
- वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
- संबंधित पत्रावली।


कुलसचिव
कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (पैनीताल)


कुलसचिव
कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (पैनीताल)